

HRA AJUNI The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II —खण्ड 3 —उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

ti. 159] No. 159] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 19, 2006/चैत्र 29, 1928 NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 19, 2006/CHAITRA 29, 1928

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(भारतीय रिज़र्व बैंक)

(विदेशी मुद्रा विभाग)

(केन्द्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुम्बई, 16 मार्च, 2006

सं. फेमा. 147/आरबी-2006

विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा व्युत्पन संविदा) (संशोधन) विनियमावली, 2006

सा.का.नि. 222(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम 42) की धारा 47 की उप-धारा (2) के खंड (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक, विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न संविदा) विनियमावली, 2000 (दिनांक 3 मई, 2000 की अधिस्चना सं फेमा 25/2000-आरबी) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात :—

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(i) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा व्युत्पन्त संविदा) विनियमावली, 2006 कहलाएंगे। (ii) ये जून 23, 2005 * से लागू होंगे।
- 2. **विनियमावली में संशोधन.**—विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न संविदा) विनियमावली, 2000 (दिनांक 3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फ़ेमा 25/2000-आरबी) में अनुसूची 1 में पैरा 'अ' में, मद सं. 1 में उप-मद (ज) के लिए निम्न को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—
 - ''(ज) समय-समय पर रिजर्व बैंक द्वारा अन्यथा अनुमत को छोड़कर एक मुद्रा के रूप में रुपए को शामिल करने वाली संविदा, एक बार रद्द हो जाने पर पुन: बुक नहीं की जाएगी हालांकि उन्हें परिपक्वता अथवा उससे पहले चालू दरों पर रोल ओवर किया जा सकता है। चालू खाता लेनदेनों की हेजिंग हेतु निवासियों द्वारा बुक की गई ऐसी संविदाओं को, स्वरूप पर ध्यान दिए बगैर, जो दस्तावेजों के बगैर पिछले कार्य निष्पादन के आधार पर बुक नहीं की गई हैं अथवा विदेशी मुद्रा की प्रमुखता वाले लेन-देनों की हेजिंग के लिए बुक की गई किन्तु भारतीय रुपयों में निपटायी गई हैं, रद्द किया जाए तथा चालू दरों पर मुक्त रूप से पुन: बुक किया जाए। निर्यात लेन-देनों को कवर करने वाली संविदाएं बगैर किसी प्रतिबंध के रद्द, पुन: बुक अथवा प्रचलित दरों पर रोल ओवर की जा सकती हैं।''

[सं. 1/23/ई एम/2000-खण्ड -4]

विनय बैजल, मुख्य महा प्रबंधक

पाद टिप्पणी:

1. *प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना के पूर्व प्रभावी होने से किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

L

2. मूल विनियमावली मई 8, 2000 के सं. सा. का. नि. 411(अ) में भाग II, धारा 3, उप-धारा (i) में अधिसूचित की गई और तत्पश्चात् निम्नानसार संशोधित किया गया—

सं. सा. का. नि. 756(अ) दिनांक 28-9-2000,

सं. सा. का. नि. 264(अ) दिनांक 09-4-2002,

सं. सा. का. नि. 579(अ) दिनांक 19-8-2002,

सं. सा. का. नि. 222(अ) दिनांक 18-3-2003,

सं. सा. का. नि. 532(अ) दिनांक 09-7-2003.

सं. सा. का. नि. 880(अ) दिनांक 11-11-2003,

सं. सा. का. नि. 881(अ) दिनांक 11-11-2003, तथा

सं. सा: का. नि. 750(अ) दिनांक 28-12-2005।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(RESERVE BANK OF INDIA)

(Foreign Exchange Department)

(Central Office)

NOTIFICATION

Mumbai, the 16th March, 2006

No. FEMA 147/RB-2006

Foreign Exchange Management (Foreign Exchange Derivative Contracts) (Amendment) Regulations, 2006

- G.S.R. 222(E).—In exercise of the powers conferred by clause (h) of sub-section 2 of Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999) the Reserve Bank of India makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Foreign Exchange Derivative Contracts) Regulations, 2000, (Notification No. FEMA 25/RB-2000 dated May 3, 2000) namely:—
- 1. Short Title and Commencement.—(i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Foreign Exchange Derivative Contracts) (Amendment) Regulations, 2006.
 - (ii) They shall come in to force from June 23, 2005*.
- 2. Amendment of the Regulations.—In the Foreign Exchange Management (Foreign Exchange Derivative Contracts) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA 25/RB-2000 dated May 3, 2000) in Schedule I in paragraph 'A' in item No. 1, for sub-item (h) the following shall be substituted, namely:—
 - "(h) Contracts involving the rupee as one of the currencies, once cancelled, shall not be rebooked except as otherwise permitted by the Reserve Bank from time to time although they can be rolled over at on-going rates on or before maturity. Such contracts booked by residents to hedge current account transactions, regardless of tenor, not being those booked on past performance basis without documents or booked to hedge transactions denominated in foreign currency but settled in Indian Rupee, may be cancelled and rebooked freely at on going rates. Contracts covering export transactions may also be cancelled, rebooked or rolled over at on going rates without any restriction."

[No. 1/23/EM/2000-Vol.-IV]

VINAY BALJAL, Chief General Manager

Footnote:---

1. *It is clarified that no person will be adversely affected as a result of retrospective effect being given to these Regulations.

2. The principal regulations were published in the Official Gazette vide G.S.R. No. 411(E) dated May 8, 2000 in Part II, Section 3; Sub-section (i) and subsequently amended vide,—

No. GSR 756(E) dt. 28-9-2000,

No. GSR 264(E) dt. 09-04-2002,

No. GSR 579(E) dt. 19-8-2002,

No. GSR 222(E) dt. 18-3-2003,

No. GSR 532(E) dt. 09-7-2003,

No. GSR 880(E) dt. 11-11-2003,

No. GSR 881(E) dt. 11-11-2003, and

No. GSR 750(E) dt. 28-12-2005.

अधिसूचना

मुम्बई, 16 मार्च, 2006

सं. फेमा. 148/आरबी-2006

विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न संविदा) (दूसरा संशोधन) विनियमावली, 2006

सा.का.नि. 223(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम 42) की धारा 47 की उपधारा (2) के खंड (ज) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक, विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न संविदा) विनियमावली, 2000 (दिनांक 3 मई, 2000 की अधिसूचना सं फेमा 25/2000-आरबी) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात :—

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(i) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न संविदा) (दूसरा संशोधन) विनियमावली, 2006 कहलाएंगे।
 - (ii) ये जुलाई 23, 2005 * से लागू होंगे।
- 2. विनियम 6 के लिए नये विनियम का प्रतिस्थापन.—विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न संविदा) की विनियमावली, 2000 (दिनांक 3 मई, 2000 की अधिसूचना फ़ेमा 25/आरबी-2000) (इसके आगे ''मूल विनियमावली'' के रूप में उल्लिखित) में विनियम 6 को निम्नलिखित नये विनियम से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:—
 - ''6. पण्य हेज : (i) रिजर्व बैंक ऐसी शर्तों के अधीन जिसे वह आवश्यक समझे, अनुसूची III में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार किए गए आवेदन पर भारत में निवासी किसी व्यक्ति को किसी पण्य में मूल्य जोखिम की हेजिंग के लिए किसी पण्य विनिमय अथवा भारत से बाहर बाज़ार में संविदा करने की अनुमित दे।
 - (ii) उप-विनियम (i) में दी गई किसी बात के बावजूद रिज़र्व बैंक द्वारा इसके लिए विशेष रूप से प्राधिकृत किए गए प्राधिकृत व्यापारी बैंक किसी कंपनी, भारत में निवासी और मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध को उसके द्वारा आयातित/निर्यातित किसी पण्य में मूल्य जोखिम की हेजिंग के लिए समय-समय पर रिज़र्व बैंक द्वारा यथानिर्धारित शर्तों के अधीन पण्य विनिमय अथवा भारत के बाहर स्थित बाजार में संविदा करने की अनुमित दें।

बशर्ते ऐसा प्राधिकृत व्यापारी बैंक ऐसे प्राधिकार का प्रयोग रिजर्व बैंक द्वारा इस हेतु उन्हें जारी निदेशों और मार्गदर्शी सिद्धांतों के तहत करेंगे।

- (iii) प्राधिकृत व्यापारी बैंक अपने ग्राहकों को उप-विनियम (ii) के तहत अनुमित प्रदान करने के प्राधिकार की स्वीकृति हेतु भारतीय रिजर्व बैंक, विदेशी मुद्रा विभाग को आवेदन करे।
- (iv) इस विनियम में दी गई किसी बात के होते हुए भी विशेष आर्थिक अंचल की कोई इकाई निर्यात∕आयात की वस्तु के मूल्य जोखिम की हेजिंग हेतु पण्य विनियम अथवा भारत के बाहर बाजार में संविदा कर सकती है बशर्तें ऐसी संविदा''एकल'' आधार पर की जाती है।

स्पष्टीकरणः ''एकल'' शब्द का अर्थ है कि विशेष आर्थिक अंचल की इकाई, जहां तक इसके आयात/निर्यात का संबंध है, अपने मुख्य स्थल अथवा विशेष आर्थिक अंचल के अंदर अपने मूल अथवा सहायक कंपनी की किसी वित्तीय संविदा से पूरी तरह से अलग है।''

3. अनुसूची III में संशोधन

मूल विनियमावली के अनुसूची III में पैराग्राफ 2 को निम्नलिखित नये पैराग्राफ द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"2. प्राधिकृत व्यापारी यह सुनिश्चित करने के बाद कि आवेदन पत्र के साथ पैराग्राफ 1 में यथा प्रासंगिक दस्तावेज हैं, उसे अपनी सिफारिशों के साथ, जहां कहीं लागू हों, भारतीय रिजर्व बैंक को भेजें। अन्य सभी मामलों में आवेदन संबंधित कंपनी द्वारा विनियम 6 के उप-विनियम (ii) के तहत अनुमति प्रदान करने के लिए प्राधिकृत किए गए प्राधिकृत व्यापारी बैंकों को विचारार्थ अग्रेषित करे।"

[सं. 1/23/ई एम/2000-खण्ड 4] विनय बैजल, मुख्य महा प्रबंधक

पाद टिप्पणी :

- 1. प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसचूना के पूर्व प्रभावी होने से किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- 2. मूल विनियमावली मई 8, 2000 के सं. सा. का. नि. 411(अ) में भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचित की गई और तत्पश्चात् उसे निम्नानुसार संशोधित किया गया,—
 - सं. सा. का. नि. 756(अ) दिनांक 28-9-2000,
 - सं. सा, का, नि. 264(अ) दिनांक 09-4-2002,
 - सं. सा. का. नि. 579(अ) दिनांक 19-8-2002.
 - सं. सा. का. नि. 222(अ) दिनांक 18-3-2003,
 - सं. सा. का. नि. 532(अ) दिनांक 09-7-2003,
 - सं. सा. का. नि. 880(अ) दिनांक 11-11-2003,
 - सं. सा. का. नि. 881(अ) दिनांक 11-11-2003,
 - सं. सा. का. नि. 750(अ) दिनांक 28-12-2005, तथा
 - सं. सा. का. नि. (अ) दिनांक 03-2006,

NOTIFICATION

Mumbai, the 16th March, 2006

No. FEMA 148/RB-2006

Foreign Exchange Management (Foreign Exchange Derivative Contracts) (Second Amendment) Regulations, 2006.

- G.S.R. 223(E).—In exercise of the powers conferred by clause (h) of Sub-section 2 of Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999) the Reserve Bank of India makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Foreign Exchange Derivative Contracts) Regulations, 2000, (Notification No. FEMA 25/RB-2000 dated May 3, 2000) namely:—
- 1. Short Title and Commencement.—(i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Foreign Exchange Derivative Contracts) (Second Amendment) Regulations, 2006.
 - (ii) They shall come into force from July 23, 2005*
- 2. **Substitution of new regulation for regulation 6.**—In the Foreign Exchange Management (Foreign Exchange Derivative Contracts) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA 25/RB-2000 dated May 3, 2000) (hereinafter referred to as the "principal regulations") regulation 6, shall be substituted, by the following new regulation namely:—
 - "6. Commodity Hedge.—(i) Reserve Bank may, on an application made in accordance with the procedure specified in Schedule III permit, subject to such terms and conditions as it may consider necessary, a person resident in India to enter into a contract in a commodity exchange or market outside India to hedge the price risk in a commodity.
 - (ii) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (i), an authorized dealer bank specially authorized in that behalf by the Reserve Bank may permit a company, resident in India and listed on a recognized stock exchange, to enter into contracts in a commodity exchange or market outside India, to hedge the price risk in a commodity imported/exported by it subject to such terms and conditions as may be stipulated by the Reserve Bank from time to time.

Provided that such authorized dealer bank shall exercise such authority subject to the directions and guidelines issued to them by the Reserve Bank in that behalf.

(iii) An authorized dealer bank may apply to the Reserve Bank of India, Foreign Exchange Department for grant of authority to grant permission under sub-regulation (ii) to its customers.

- (iv) Notwithstanding anything contained in this regulation a unit in the Special Economic Zone (SEZ) may enter into contracts in a commodity exchange or market outside India to hedge the price risk of the commodity of export/import, subject to the condition that such contract is entered into on a "stand-alone" basis.
- Explanation: The term "stand-alone" means that the unit in the SEZ is completely isolated from financial contracts with its parent or subsidiary in the mainland or within the SEZ(s) as far as its import/export transactions are concerned"
- 3. Amendment of Schedule III.—In Schedule III of the principal regulations, Paragraph 2 shall be substituted by the following new paragraph, namely:—
 - "2. Authorized dealer, after ensuring that the application is supported by documents indicated in paragraph 1, as may be relevant, may forward the application with its recommendations to the Reserve Bank of India, where applicable. In all other cases, the application may be forwarded by the company concerned to an authorized dealer bank authorized to grant permission under sub-regulation (ii) of regrulation 6, for consideration."

[No. 1/23/EM/2000-Vol. IV]

VINAY BAIJAL, Chief General Manager

Footnote:-

- 1. *It is clarified that no person will be adversely affected as a result of retrospective effect being given to these regulations.
- 2. The principal regulations were published in the Official Gazette vide No. G.S.R. 411(E) dated 8th May, 2000 in Part II, Section 3, Sub-section (i) and subsequently were amended vide—

G.S.R. No. 756(E) dt. 28-9-2000,

G.S.R. No. 264(E) dt. 09-04-2002,

G.S.R. No. 579(E) dt. 19-8-2002,

G.S.R. No. 222(E) dt. 18-3-2003,

G.S.R. No. 532(E) dt. 09-7-2003,

G.S.R. No. 880(E) dt. 11-11-2003,

G.S.R. No. 881(E) dt. 11-11-2003,

G.S.R. No. 750(E) dt. 28-12-2005 and

G.S.R. (E) dt. 03-2006